न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–77 / 2018

अपीलाण्टस	बनाम	उतरदातागण
01. ईसरचन्द पुत्र श्री बाण्डमल एच.यु.एफ. के विधिक वारिसान 1 / 1. सम्पतराज पुत्र स्व. श्री ईसरचन्द जाति ओसवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 1 / 2.श्रीमति राणी देवी पुत्री स्व. ईसरचन्द पत्नी श्री दामोदरलाल जाति ओसवाल निवासी जसोल 02.सोहनराज पुत्र श्री बाण्डमल एच.यु. एफ. मार्फत कर्ता सोहनराज पुत्र श्री बाण्डमल जाति ओसवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा		1.श्रीमती चूंगीदेवी पत्नी मानाराम 2. चैनाराम पुत्र मानाराम 3.वांकाराम पुत्र मानाराम 4.छोगाराम पुत्र मानाराम 5.श्रीमति हंजादेवी पुत्री मानाराम जाति रबारी निवासी जसोल हाल बामसीन तहसील पचपदरा 6.राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा,जिला बाडमेर 7.पटवारी (भू–अभिलेख), जसोल 8.ग्राम पंचायत जसोल, मार्फत ग्राम विकास अधिकारी,जसोल

राजस्व **अपील** अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 4046 जो सरपंच ग्राम पंचायत जसोल द्वारा आदेश दिनांक 18.11.2017 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1.श्री करणसिंह सोलंकी,श्री अरिहंत तातेड़ अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से उपस्थित।

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता उतरदाता संख्या 01 से 05 की ओर से उपस्थित।

3. उतरदाता संख्या 06 से 8 एकपक्षीय।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 20/7/2023

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.संक्षेप में यह अपील ग्राम–जसोल पटवार क्षेत्र जसोल तहसील पचपदरा के नामान्तरकरण संख्या 4046 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत जासेल के आदेश दिनांक 18.11.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपील के साथ उन्होनें अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब से होना अपील के प्रस्तुतीकरण में हुयें विलम्ब की वजह बताते हुए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2.संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 91 रकबा 09–09 बीघा भूमि माना,अणदा पिसरान वगता हिस्सा 1/2 व अमरा पुत्र जमरूपा हिस्सा 1/2 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। जिसमें उतरदाता संख्या 1 से 5 के पति पिता मानाराम का 1/4 हिस्सा था और मानाराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 आगे ईसरचन्द पुत्र बाण्डमल व सोहनराज पुत्र बाण्डमल को जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचानपत्र संख्या 434/1994 को बेचान किया गया। वक्त खरीद से आदिनांक अपीलाण्टस का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट की ओर से बेचानपत्र की प्रति तत्कालीन हल्का पटवारी को नामान्तकरण भरने के लिए दी गई तथा अपीलाण्टस यही समझते रहे कि अपीलाण्टस के हक में नामान्तकरण पारित हो गया है। अपीलाण्टस की क्रयशुदा भूमि में मूलसिंह वगैरा द्वारा दखलदान्जी करने पर अपीलाण्ट द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि का हल्का पटवारी से रेकर्ड की प्रति देने के लिए कहां गया तो हल्का पटवारी द्वारा अवगत करवाया कि अपीलाण्टस की क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण उनके हक में नहीं भरा गया। अपीलाण्ट की ओर से नामान्तकरण भरने का राजस्व अधिकारीयों को कहां गया,तो उन्हे बताया गया कि नामान्तकरण संख्या 1463 भरते समय सहवन से कागजी खातेदार मानाराम का नाम दर्ज करने से रह गया है,पहले मानाराम का नाम रेकर्ड में दर्ज करवानें के बाद ही अपीलाण्ट का नाम इन्द्राज हो पायेगा। तत्पश्चात मानाराम का राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करने दिया गया और मानाराम के नाम इन्द्राज होने के बाद राजस्व कर्मचारीयो का उत्तरदायित्व था,कि मानाराम द्वारा अपना हिस्सा बेचान करने के कारण उसके स्थान पर अपीलाण्टस के नाम नामान्तकरण दायर किया जाना चाहिए था,लेकिन अपीलाण्टस के नाम दायर नहीं कर मानाराम के फोत होने पर उनके वारिसान,उतरदाता संख्या 1 से 5 के नाम विवादित नामान्तकरण पारित किया गया,जो कि नियम से परे जाकर आदेश किया गया है। अतःअपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद सुमार कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए विवादित भूमि में उतरदाता संख्या 01 से 05 के स्थान पर अपीलाण्ट के नाम दायर करवानें हेतु अपील पेश की गई।

3.अपीलाण्टस की अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदाता को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। उतरदाता संख्या 1 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा अपीलाण्टस के अपील

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:44 IST
Reason: SelfAttested

तथ्यों को अस्वीकार करते हुए उत्तरदाता संख्या 01 से 5 की ओर से जवाब पेश किया गया। शेष उत्तरदाता को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी। वकील अपीलाण्टस ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि सहखातेदार को संयुक्त अविभाजित भूमि में से अपने हक हिस्से तक भूमि का बेचान करने के विधिक अधिकार के अधीन उक्त भूमि के सहखातेदार माना पुत्र वगता ने अपने सम्पूर्ण 1/4 हिस्से का रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.10.1994 के द्वारा अपीलार्थीगण ईसरचन्द पुत्र श्री बाण्डमल एच.यु.एफ. एवं सोहनराज पुत्र श्री बाण्डमल एच.यु.एफ. को सप्रतिफल बेचान किया तथा अपीलार्थी केतागण विक्रेता माना पुत्र वगताजी की जगह उसके 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हुए। बेचान का यह प्रलेख उपपंजीयक पचपदरा के कार्यालय में क्रम संख्या 434/94 पर दिनांक 20.10.1994 को पंजीबद्ध हुआ था। बेचाननामा के बाद केतागण ने उक्त बेचाननामा के आधार पर अपने नाम से नामान्तरणकरण के जरीये राजस्व रेकर्ड खतौनी में दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी को बेचानपत्र दी गई,अपीलार्थी केतागण आश्वस्त रहे कि उनके नाम खरीदसुदा भूमि का नामान्तरणकरण भर दिया जायेगा। अपीलार्थी केतागण को राजस्व रेकर्ड देखने की कभी जरूरत नहीं पडी। अपीलार्थी केतागण का भूमि पर कब्जा काश्त में दखल नही किया। अपीलार्थी क्रेतागण एवं उनके अन्य परिवारजन के खसरा संख्या 91 के पास के स्थित खसरा संख्या 92/1 एवं 92/3 की भूमि खरीद की हुई है,जिससें अपीलार्थी केतागण ने खसरा संख्या 91 की उक्त अनुसार भूमि खरीद करने के बाद भूमि की सुरक्षा हेतु दोनो खसरो की भूमि को एक चक में करके चारो तरफ अपनी संयुक्त चारदीवारी बना दी,जो आज भी मौके पर मौजुद है। उक्त बेचाननामा दिनांक 20.10.1994 के बाद भी राजस्व रेकर्ड खतौनी में नामान्तकरण के जरीये अपीलार्थी केतागण का नाम दर्ज नहीं किये जाने के कारण राजस्व रेकर्ड में माना पुत्र वगताजी का नाम कागजी खातेदारी के तौर पर चलता रहा,क्योकि माना पुत्र वगता द्वारा खसरा संख्या 91 में से अपना सम्पूर्ण 1/4 हक रजिस्ट्री बेचाननामा दिनांक 20.10.1994 के जरीये अपीलार्थी केतागण को हस्तान्तरण कर दिया जाने से उसका उक्त खसरे की भूमि में बाद बेचान के कोई हक हिस्सा नहीं था। वर्ष 2013 में [illegible] ने अपीलार्थी केतागण की खरीदसुदा भूमि पर नाजायज दखल करने का प्रयास [illegible] पर अपीलार्थी केतागण ने राजस्व रेकर्ड देखा तो उन्हें ज्ञान हुआ कि खरीदसुदा खसरा 91 में उनके 1/4 हिस्से का नामान्तकरण उनके नाम से [illegible] नहीं [illegible] अपीलार्थी केतागण ने पुनः नामान्तकरण हेतु कार्यवाही की तो राजस्व अधिकारियो ने बता[illegible] कि चूंकि खसरा संख्या 91 भूमि के अन्य सहखातेदारन द्वारा अपनी खातेदारी का बेचान किये जाने के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.11.1995 को भरे गये नामान्तकरण संख्या 1463 सहवन/गलती से कागजी खातेदार माना का दर्ज होने से रह गया है। इस कारण माना का

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:44 IST
Reason: SelfAttested

नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के बाद ही अपीलार्थी केतागण के नाम उनके 1/4 हिस्सा का नामान्तकरण खोला जावेगा। अपीलार्थी केतागण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष माना का नाम दर्ज करने हेतु कार्यवाही की गयी,जिसमें आदेश दिनांक 19.02.2014 के द्वारा 1/4 हिस्सा में माना का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ तथा इसी अनुसार दर्ज हुआ। उक्त आदेश दिनांक 19.02.2014 के जरिये राजस्व रेकर्ड में 1/4 हिस्सा माना के नाम का नामान्तकरण संख्या 3705 भरने के पश्चात् राजस्व अधिकारीयों का यह दायित्व था,कि उक्त कागजी खातेदार माना का नाम हटाकर रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.10.1994 एवं कब्जा के आधार पर दूसरा नामान्तकरण अपीलार्थी केतागण के नाम भरना चाहिये था,परन्तु गलती से माना को फोत होना बताकर उनके वारिसान उत्तरदाता संख्या 01 से 05 के नाम भर कर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 4046 स्वीकृत करवा दिया। जिससे क्षुब्ध होकर जानकारी होने के अन्दर म्याद अपील पेश की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और तर्क दिए कि सरपंच ग्राम पंचायत जसोल द्वारा विवादित नामान्तकरण पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई और न ही बेचानपत्र व मौका कब्जा स्थिति का अवलोकन किया तथा न ही विवादित नामान्तकरण पारित करने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारान को जरीये नोटिस सूचित किया गया। जबकि ग्राम पंचायत का उतरदायित्व बनता है,कि किसी भी प्रकार का नामान्तकरण पारित करने से पूर्व सघन जांच करते हुए नियम के तहत नामान्तकरण पारित करें। जबकि विवादित नामान्तकरण विधि के विरुद्ध पारित किया गया है। जबकि अपीलाण्टस का वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और उतरदाता संख्या 1 से 5 का विवादित भूमि में कोई हक हकूक निहित नही है। लेकिन ग्राम पंचायत जसोल जरिये सरपंच द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण में विधि विरूद्ध उतरदाता के नाम दायर किए गए है। जबकि उतरदाता संख्या 01 से 5 के पिता–पति मानाराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 अपीलाण्टस को बेचान कर दिया गया था और इनका विवादित भूमि में किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अपीलाण्टस के हक हकूको पर कुठराघात किया गया है। ऐसे विधि विरुद्ध पारित किए गए नामान्तकरण प्रारम्भतःशून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आते है,जिसके लिए म्याद का बिन्दु का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अपीलाण्टस की ओर से विवादित नामान्तकरण की जानकारी होने के अन्दर म्याद अपील पेश कर दी गई है। अतः अपीलाण्टस की अपील अन्दर म्याद सुमार कर स्वीकार की जाकर [illegible] 4046 आदेश दिनांक 18.11.2017 को अपास्त किया जाकर ग्राम [illegible] 09.09 बीघा भूमि के 1/4 हिस्सा (945/3780) की भूमि [illegible] अथवा उतरदाता संख्या 01 से 05 के स्थान पर अपीलार्थी केतागण के नाम [illegible] करने का आदेश फरमावें।

5.इसके विपरीत उतरदाता संख्या 01 से 5 अधिवक्ता की बहस थी,कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत जसोल के द्वारा फौतगी नामान्तकरण तारीख 18.11.2017 के सम्बन्ध में पारित म्यूटेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

को चुनौति दी है। अपीलाधीन नामान्तकरण मृतक के विधिक वारिसान के नाम पारित किया गया है,को चुनौति दी है। जबकि अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही को चुनौति देकर प्रश्नगत करने का कोई क्षेत्राधिकार,लोकस स्टेण्डी नहीं है,क्योंकि माफिक अपील के अभिवचनो अनुसार यदि मानाराम ने भूमि अपीलांट को बेचान की हुई होती,तो उसका नामान्तकरण उसी वक्त करवाया जाता,ऐसा क्यो नहीं किया के सम्बन्ध में लेश मात्र भी कथन नहीं इसके अतिरिक्त तथा कथित बेचाननामा के आधार पर अपीलांट का नाम दर्ज नहीं हुआ था,बेचानकर्ता फौत गया, तब सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र देने कि क्या जरूरत थी,जब आवेदन पत्र दे दिया गया,चाहे ऐसा आदेश किसी भी विधि के प्रावधानो के तहत किया गया है,तो वो आदेश अपने आप में पुख्ता हो गया आदेश करने वाली ऑथरटी का वर्तमान न्यायालय अपील न्यायालय नहीं है। यदि पुर्व में पारित आदेश की पालना नहीं हुई तो उसका उपचार वर्तमान अपील नहीं है। अतिरिक्त इसके मौके पर कब्जा तथाकथित अपीलांट का नहीं है और न कभी रहा मौके पर माफिक वर्तमान खतौनी में दर्ज अनुसार खातेदारान का कब्जा है,एक इंच भूमि भी खाली नहीं है। उक्त तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आ जावे,इसलिए अपील प्रकरण में अन्य रेकर्ड खातेदारान को आवश्यक या, फोर्मल पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त श्री न्यायालय में जिस दस्तावेज को आधार बनाकर नामान्तकरण अपील पेश की है,उस दस्तावेज की वैधता भी सिद्धग्ध होने से फौजदारी प्रकरण CRNO CRN 55 / 2013PS पचपदरा में जुर्म दफा 420,467,468,471,120B, IPC वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध दर्ज है,पुर्ण जेर अनुसंधान है,उक्त दस्तावेज स्वयं ही फर्जी है,ऐसी स्थिति में नामान्तकरण अपील समरी प्रकृति का प्रकरण है,उसमें ऐसे गंभीर बिंदु साक्ष्य इस समरी प्रकृति के मामले में तय नही किया जा सकता है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि मानाराम के वारिसान ने भूमि का अंतरण तृतीय पक्ष को कर दिया गया,जिसकी जानकारी अपीलांट को है, फिर भी पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रकरण CRNO CRN 55/2013 PS पचपदरा में जुर्मदफा 420,467,468,471,120B IPC के विचाराधीन रहते प्रश्नगत दस्तावेज जिसे फर्जी होना जेर अनुसंधान है,को आधार बनाकर अपील में आदेश फरमाया जाना कतई न्यायसंगत नही है। अपीलांटस नें अपील देरी से क्यों पेश की,ऐसी देरी को कण्डोन करने हेतु कोई पर्याप्त हेतुक भी नहीं बताए गये है, और न ही कोई आवेदन ही दिया है। इस कारण अपीलाण्टस की अपील म्याद बाहर होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर खारिज फरमाई जावें।

6.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 4046 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि अपीलाण्टस की ओर से अपील में मुख्य इस्तदुआ चाही गई है,कि ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 91 रकबा 09–09 बीघा भूमि माना,अणदा पिसरान वगता हिस्सा 1/2 व अमरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पुत्र जगरूपा हिस्सा 1/2 की आई हुई थी और मानाराम द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 जरिये रजिस्ट्री बेचानपत्र आगे अपीलार्थी क्रेतागण ईसरचन्द पुत्र बाण्डमल व सोहनराज पुत्र बाण्डमल को जरिये रजिस्टर्ड बेचानपत्र संख्या 434/1994 को बेचान की गई,जो उप पंजीयक पचपदरा द्वारा बेचानपत्र को पंजीबद्ध किया। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बेचानपत्र के आधार पर अपीलार्थी क्रेतागण के पक्ष मे नामान्तकरण नहीं भरा गया और मानाराम के फोत होने पर अपीलार्थी क्रेतागण के पक्ष में नामान्तकरण भरने के बजाय उतरदाता संख्या 01 से 5 के पक्ष मे विवादित नामान्तकरण पारित किया,उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त किया जाकर उतरदाता संख्या 01 से 5 के नाम 1/4 हिस्सा की भूमि अपीलाण्टस के पक्ष में दायर की जावे। इसके विपरीत उतरदाता संख्या 01 से 05 अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य तर्क दिये कि उतरदाता संख्या 01 के पिता मानाराम द्वारा विवादित भूमि में अपनें हिस्से की भूमि का बेचान अपीलार्थी क्रेतागण को नहीं किया गया। अपीलार्थी क्रेतागण द्वारा फर्जी तौर पर मानाराम की भूमि का बेचान करवाया है। उतरदाता चैनाराम द्वारा उक्त दस्तावेज की वैधता सिद्धग्ध होने से फौजदारी प्रकरण CRNO CRN 55 / 2013PS पचपदरा में जुर्म दफा 420,467,468,471,120B, IPC वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध दर्ज है,जो जेर अनुसंधान होने के कारण अपीलाण्टस की अपील खारिज की जावें। इस सन्दर्भ में न्यायालय का यह मानना है कि बेचानपत्र वैध है अथवा नहीं,इस बाबत न्यायालय को अपनी राय रखनें की आवश्यकता नहीं है,क्योकि यह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का बिन्दु है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 4046 जो सरपंच ग्राम पंचायत जसोल द्वारा पारित किया गया को चुनौती दी गए है और उक्त नामान्तकरण विधिसम्मत पारित किया है अथवा नहीं। इस बिन्दु का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। जिसमें पाया कि अपीलाधीन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 07 में माना पुत्र वगता कौम रबारी हिस्सा 945/3780 सा.देह खातेदार अंकन है और मानाराम के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम विवादित नामान्तकरण पारित हुआ। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार मानाराम पुत्र वगता द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 का बेचान अपीलार्थी क्रेतागण को जरिये पंजीबद्ध बेचानपत्र के वर्ष 1994 में कर दिया था,जो पत्रावली के संलग्न बेचान फोटोप्रति से स्पष्ट है। उक्त बेचानपत्र के आधार पर अपीलार्थी क्रेतागण के पक्ष में तत्कालीन हल्का पटवारी को नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था,लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा नामान्तक[illegible] गया। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के आदेश [illegible] दिनांक 19.2.2014 के द्वारा ग्राम जसोल की नामान्तकरण संख्या 1463 [illegible] माना पुत्र वगता का नाम व हिस्सा दर्ज होने से रह गया है,जिसके कारण इनके [illegible] बेचान की भूमि का रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट अनुसार नामान्तकरण संख्या 1463 के द्वारा सेवन से छूट गया खातेदार माना पुत्र वगता का नाम व हिस्सा 1/4(945/3780) दर्ज करने की धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 136 के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अनुचित प्रतीत हो जाती है। उक्त आदेश अपीलार्थी केतामण के प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया था। पत्रावली के संलग्न आदेश फोटोप्रति अवलोकन से स्पष्ट है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी केतामण द्वारा खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण दर्ज जाना चाहिए था। लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई विधिक जांच नहीं की गई और बिना समुचित कार्यवाही किए बिना ही नामान्तरण का पत्र सीधा अवलोकित करते हुए उनके वारिसान के पक्ष में नामान्तरण पारित कर दिया गया। जो कि नियम से परे जाकर आदेश पारित किया गया है,एसे आदेश प्रारम्भतःशून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आते है। इसके लिए म्याद का बिन्दु बनता ही नहीं है। क्योंकि जो प्रारम्भ विधि विरूद्ध दर्ज गया नामान्तकरण म्याद की परिधि में आता ही नहीं है। एसी स्थिति में अपीलान्टस की अपील अन्दर म्याद शुमार की जानी उचित प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत भी न्यायालय यह उचित समझता है,कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेचानपत्र दस्तावेज,मौका कब्जा स्थिति व अन्य समस्त बिन्दुओं की जांच कर अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण अपीलान्टस के हक में नए सिरे से पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7.लिहाजा अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार कर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत जसोल के नामान्तकरण संख्या 4046 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत जसोल के आदेश दिनांक 18.11.2017 को अपास्त कर, प्रकरण इन निर्देशो के साथ तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि उत्तरदाता संख्या 01 से 06 के पिता पति मानाराम पुत्र नगा कोम रबारी हिस्सा 945/3780 अपीलार्थी केतामण को बेचानपत्र दस्तावेजात,मौका कब्जा स्थिति,रेकर्ड एवं अन्य समस्त बिन्दुओं की जांच करते हुए अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण विधिनुसार अपीलान्टस के हक में नये सिरे से पारित करे।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20/7/2021 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(एस.डी.ओ.)बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:44 IST
Reason: SelfAttested